

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(1)नविवि/ा/2023

जयपुर, दिनांक: 17 MAY 2023

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.05.2023 के अतिक्रमण में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. श्रीमती संचिता बिश्नोई, संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय के स्थान पर संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नियुक्त किया जाता है तथा श्रीमती बिश्नोई संयुक्त शासन सचिव-प्रथम को आवंटित कार्य सम्पादित करेंगे।
2. श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव-प्रथम के स्थान पर संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय नियुक्त किया जाता है तथा श्री गोयल, संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय को आवंटित कार्य सम्पादित करेंगे।

लिंक अधिकारी:-

1. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम की अनुपस्थिति में उनका कार्य संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय सम्पादित करेंगे।
2. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय की अनुपस्थिति में उनका कार्य संयुक्त शासन सचिव-प्रथम सम्पादित करेंगे।
3. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय की अनुपस्थिति में उनका कार्य संयुक्त शासन सचिव-प्रथम सम्पादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
6. सचिव, समस्त न्यास/प्राधिकरण।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. सहायक लेखाधिकारी, नगरीय विकास विभाग।
11. समस्त सहायक शासन सचिव, अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग।
12. संबंधित अधिकारी/कार्मिक।
13. रक्षित पत्रावली।

।।।
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय